रजिस्टर्ड सं० (डीएन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1987 (वैशाख 26, 1909)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1987 (VAISAKHA 26, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	421
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	575
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	671
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	3923
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	365
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2447
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	67
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	421
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	575
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	671
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	3923
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	355
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2447
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	67
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मई 1987

सं० 39-प्रेज/87—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मोहम्मद शोयेब (मरणोपरान्त)
सिपाही नं० 337,
बिहार सेना पुलिस, 15वीं बटालियन,
देवघर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27 मार्च, 1986 को बाजार जाते हुए श्री मोहम्मद शोयेब, सिपाही को सूचना मिली कि जसीमपुर रेलवे स्टेशन में संरक्षण दल की टुकड़ी से 6-7 डाकुओं द्वारा हथियार तथा गोला-बारूद लूटा जा रहा है। श्री मोहम्मद शोयेब तुरन्त अपनी चौकी पर वापस आए तथा अपने दल के अन्य सदस्यों को इसकी सूचना दी । एक हवलदार के नेतृत्व में पुलिस दल उन डाकुओं को काबू में करने के लिए तुरन्त घटना स्थल की ओर रवाना हुआ । उन्होंने लगभग 7 कि० मी० की दूरी तक डाकुओं का पीछा किया । नहर-तल से इन डाकुओं ने पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी । पुलिस दल ने अपनी रक्षा में गोली चलाई । इसी बीच कार्रवाई करते हुए सिपाही मोहम्मद शोयेब ने गोला-बारी के दौरान मारे गए एक डाकू के कब्जे से राइफल लेने का प्रयास किया। उन्होंने बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए नहर के दूसरी तरफ छलांग लगाई। इस क्रिया में डाकुओं द्वारा चलाई जा रही गोली उन्हें लगी तथा घटना-स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई । दोनों ओर की गोलाबारी में दो डाकू मारे गए तथा उनसे लूटी गई दो राइफलें बरामद की गई। शेष डाकू अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए।

इस मुठभेड़ में सिपाही मोहम्मद शोयेब ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 मार्च, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 40-प्रेज/87—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री जे० एस० पिल्लै
का० सं० 720160563
22वीं बटा०,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री काली राम
का० सं० 751172553
22वीं बटा०,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 मार्च, 1986 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों का एक दस्ता प्लाटून पोस्ट, माटेवाल से हैड कान्स्टेबल कन्हैया लाल के नेतृत्व में गांव रूपावाली ब्राह्मन को भेजा गया । जब यह दस्ता गिद्दड़जादा गांव के नजदीक पहुंचा, जहां सड़क पर "T" रूप का चौराहा है, उस समय लगभग सांय 7.30 बजे थे और रोशनी कम हो गयी थी। इस स्थान पर लगभग 12—15 आतंकवादियों ने घात लगाने की योजना बनायी और गेहूं के खेत में सड़क के दोनों ओर स्थिति सम्भाल ली । जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते के कुछ सैनिक फायरिंग रेंज में आये तो आतंकवादियों ने स्वचालित शस्त्रों से गोली चलानी शुरू कर दी । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते ने तुरन्त स्थिति सम्भाली । इससे पहले कि हैड-कान्स्टेबल मोर्चा सम्भालते, उन्हें एक गोली लगी परन्तु उन्होंने और उनके जवानों ने जवाबी गोली चलायी । उन्हें दोबारा गोलियां लगी जिससे उसी समय उनकी मृत्यु हो गयी । एक कान्स्टेबल ने, यद्यपि उनकी दांयी बाजू घायल थी, जवाबी गोली चलायी परन्तु वे ज्यादा देर तक गोली नहीं चला सके क्योंकि बहुत अधिक खून बह रहा था । वे घात के बारे में सूचित करने के लिए चौकी कमाण्डेन्ट के पास वापस गये । एक उग्रवादी ने मृत हैड-कान्स्टेबल की 9 एम० एम० एस० ए० एफ० कार्बाइन उठा ली परन्तु एक अन्य कान्स्टेबल की गोलियों की बौछार में उग्रवादी घायल हो कर गिर गया और उससे कार्बाइन नीचे छूट गयी। साथ ही साथ नायक रेशम सिंह नेतृत्व वाले दूसरे आधे दस्ते पर भी उग्रवादियों के अन्य गिरोह द्वारा आक्रमण किया गया । तीन उग्रवादी नायक रेशम सिंह पर झपटे और दो उग्रवादी कान्स्टेबल काली राम पर झपटे । इसी दौरान एक अन्य कान्स्टेबल जे० एस० पिल्लै ने गेहूं के खेत में मोर्चा सम्भाल । नायक रेशम सिंह ने गोली चलाने की कोशिश की परन्तु उग्रवादियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया । नायक और तीन उग्रवादियों के बीच हाथापाई शुरू हुई । श्री रेशम सिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया परन्तु दुर्भाग्यवश उग्रवादियों के आक्रमण से वीरगति को प्राप्त हुए ।

नायक रेशम सिंह को मारने के पश्चात उग्रवादी उनकी एस० एल० आर० लेकर गेहूं के खेत में भाग गये । दो उग्रवादी, जिन्होंने कान्स्टेबल काली राम पर आक्रमण किया था, एक एस० ए० एफ० कार्बाइन 9 एम० एम० तथा दो रिवाल्वरों से लैस थे । कान्स्टेबल काली राम की उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई और उन्होंने कार्बाइन को पकड़ लिया तथा गोलियों की बौछार से अपने आपको बचा लिया । कान्स्टेबल पिल्लै ने अपनी राइफल से तुरन्त गोली चलायी और उग्रवादी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इसी दौरान कान्स्टेबल काली राम ने अन्य उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला । कान्स्टेबल काली राम और पिल्लै की कार्यवाई ने उग्रवादियों को अपने हथियार, शव और घायल उग्रवादियों को पीछे छोड़ कर भागने के लिए मजबूर कर दिया । इसी दौरान प्लाटून चौकी से कुमुक आ पहुंची । घायल उग्रवादी की तलाश की गयी जो गेहूं के खेत में गिरा पड़ा था । अचानक घायल उग्रवादी ने अपनी कार्बाइन से गोलियों की बौछार की परन्तु निरीक्षक सुनील कुमार ने उसे मौत के घाट उतार दिया । छान बीन करने पर मृत उग्रवादी के कब्जे से एक एस० ए० एफ० कार्बाइन एक .455 रिवाल्वर, एक .38 रिवाल्वर, दो मैग स्टेनगन, 3 मैग एस० ए० एफ०

कार्बाइन 9 एम० एम० गोला बारूद के 41 राऊण्ड, 45 गोला बारूद के 26 राऊण्ड तथा 7 खाली खोल बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में, श्री जे० एस० पिल्लै, कान्स्टेबल तथा श्री काली राम, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मार्च, 1986 से दिया जाएगा।

सं० 41-प्रेज/87—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री कन्हैया लाल (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल सं० 600102166
22वीं बटा० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री रेशम सिंह (मरणोपरान्त)
नायक सं० 680206619,
27वीं बटा०, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री मोहम्मद बशीर,
कांस्टेबल सं० 680466131
22वीं बटा० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

श्री गिरधारी लाल
कांस्टेबल सं० 831170244
22वीं बटा० केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

24 मार्च, 1986 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों का एक दस्ता प्लाटून पोस्ट, माटेवाल से हैड कान्स्टेबल कन्हैया लाल के नेतृत्व में गांव रूपावाली ब्राह्मन को भेजा गया। इसे दस्ते में नायक रेशम सिंह, कान्स्टेबल मोहम्मद बशीर तथा गिरधारी लाल भी थे। जब यह दस्ता गिद्दड़जादा गांव के नजदीक पहुंचा, जहां सड़क पर "T" रूप का चौराहा है, उस समय सायं लगभग 7.30 बजे थे और रोशनी कम हो गयी थी। उस स्थान पर करीब 12-15 आतंकवादियों ने घात लगाने की योजना बनायी और गेहूं के खेत में सड़क के दोनों ओर स्थिति सम्भाल ली। जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते के कुछ सैनिक फायरिंग रेंज में आये तो आतंकवादियों ने स्वचालित शस्त्रों से गोली चलानी शुरू कर दी। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दस्ते ने तुरन्त स्थिति सम्भाली। इससे पहले कि श्री कन्हैया लाल, हैड कान्स्टेबल मोर्चा सम्भालते, उन्हें एक गोली लगी परन्तु उन्होंने और उनके जवानों ने जवाबी गोली चलायी। उन्हें दोबारा गोलियां लगी जिससे उसी समय उनकी मृत्यु हो गयी। कान्स्टेबल मोहम्मद बशीर ने, यद्यपि उनकी दायीं बाजू घायल थी, जवाबी गोली चलायी परन्तु वे ज्यादा देर तक ली नहीं चला सके क्योंकि बहुत अधिक खून बह रहा था। वे घात के बारे में सूचित करने के लिए चौकी कमाण्डेन्ट के पास वापस गये। एक उग्रवादी ने मृत हैड कान्स्टेबल की 9 एम० एम० एस० ए० एफ० कार्बाइन उठा ली परन्तु कान्स्टेबल गिरधारी लाल की गोलियों की बौछार से उग्रवादी घायल हो कर गिर गया और उससे कार्बाइन नीचे छूट गयी। साथ ही साथ, नायक रेशम सिंह के नेतृत्व वाले दूसरे आधे दस्ते पर भी उग्रवादियों के अन्य गिरोह द्वारा आक्रमण किया गया। तीन उग्रवादी नायक रेशम सिंह पर झपटे और दो उग्रवादी कान्स्टेबल काली राम पर झपटे। इसी दौरान एक अन्य कान्स्टेबल जे० एस० पिल्लै ने गेहूं के खेत में मोर्चा सम्भाला। नायक रेशम सिंह ने गोली चलाने की कोशिश की परन्तु उग्रवादियों ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। नायक और तीन उग्रवादियों के बीच हाथापाई शुरू हुई। श्री रेशम सिंह ने कड़ा प्रतिरोध किया परन्तु दुर्भाग्यवश उग्रवादियों के आक्रमण से वीरगति को प्राप्त हुए।

नायक रेशम सिंह को मारने के पश्चात उग्रवादी उनकी एस० एल० आर० लेकर गेहूं के खेत में भाग गये। दो उग्रवादी, जिन्होंने कान्स्टेबल काली राम पर आक्रमण किया था, एक एस० ए० एफ० कार्बाइन 9 एम० एम० तथा दो रिवाल्वरों से लैस थे। कान्स्टेबल काली राम की उग्रवादियों से मुठभेड़ हुई और उन्होंने कार्बाइन को पकड़ लिया तथा गोलियों की बौछार से अपने आपको बचा लिया। कान्स्टेबल पिल्लै ने अपनी राइफल से तुरन्त गोली चलायी और उग्रवादी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इसी दौरान कान्स्टेबल काली राम ने अन्य उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटना स्थल पर ही मार डाला। इस कार्रवाई ने उग्रवादियों को अपने हथियार, शव और घायल उग्रवादियों को पीछे छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान प्लाटून चौकी से कुमुक आ पहुंची। घायल उग्रवादी की तलाश की गयी जो गेहूं के खेत में गिरा पड़ा था। अचानक घायल उग्रवादी ने अपनी कार्बाइन से गोलियों की बौछार की परन्तु निरीक्षक मुर्नाल कुमार ने उसे मौत के घाट उतार दिया। छान बीन करने पर मृत उग्रवादी के कब्जे से एक एम० ए० आर० कार्बाइन, एक .455 रिवाल्वर, एक .38 रिवाल्वर, दो मैग स्टेनगन, तीन मैग एस० ए० एफ० कार्बाइन, 9 एम० एम० गोला बारूद के 51 राउण्ड, .455 गोलाबारूद के 26 राउण्ड तथा 7 खाली खोल बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री कन्हैया लाल, हैड कान्स्टेबल, श्री रेशम सिंह, नायक, श्री मोहम्मद बशीर, कान्स्टेबल तथा श्री गिरधारी लाल, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24 मार्च, 1986 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 1987

डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना–31 जनवरी, 1986 को दिनेश हाल, आश्रम रोड अहमदाबाद में डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना के अर्न्तगत इनाम देने के लिए निकाले गये 24वें ड्रा का परिणाम।

शुद्धि पत्र

सं० एफ० 2/27/85–एन० एस०—14 मई, 1986 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 14 मई, 1986 की अधिसूचना सं० 2/27/85–एन० एस० में कालम (3) डाकघर/प्रधान डाकघर के अर्न्तगत निम्नलिखित संशोधन किए जाए :—

राजपत्र का पृष्ठ सं०	लाइन सं०	के स्थान पर	पढ़ा जाए
5	ऊपर से 15	जयपुर	आजपुर
5	ऊपर से 48	नरसिंगपुर	नरसिंहपुर
5	ऊपर से 53	लैंडसडाऊन	लैंसडौन
6	ऊपर से 16	स्वाईमाधोपुर	स्वाईमाधोपुर

दिनांक 30 मार्च 1987

शुद्धि पत्र

डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना–31–7–82 को बैंकवट हाल, विधान सौधा बंगलौर में निकाले गये 17वें ड्रा का परिणाम।

सं० एफ० 2/13/82–एन० एस०—दिनांक 31–8–1982 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 31–8–1986 की अधिसूचना संख्या 2/13/82–एन० एस० में से निम्नलिखित प्रविष्टि निकाल दी जाए :—

"23	4791356	328377	छपरा	बिहार"

दिनांक 20 अप्रैल, 1987

शुद्धि पत्र

सं० 2 (21)/86–एन० एस०—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, के दिनांक 9-10-1986 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 2(21/86)एन० एस० में "चौथा इनाम (प्रत्येक 5000 रुपए)" के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि को हटा दिया जाए :—

"63	2206587	547478	जमशेदपुर बिहार"

ओम पाल सिंह, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1987

संकल्प

सं० एस० सी०–7(1)/86–डी०–III—द्वितीय विश्व युद्ध के छिड़ जाने के बाद तत्कालीन सरकार ने, अपने युद्ध संबंधी विशाल प्रयास के लिए माल की पर्याप्त आपूर्ति की अनिवार्यता होने से लोहा और इस्पात सहित विभिन्न वस्तुओं के भावों और वितरण पर व्यापक नियंत्रण लागू किए थे। इसके परिणामत: जुलाई, 1941 में भारत की रक्षा नियमावली 1939 के अर्न्तगत लोहा और इस्पात (वितरण का नियंत्रण) आदेश, 1941 जारी किया गया। इस प्रकार देश में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन का जन्म हुआ था। बाद में इस नियंत्रण को विभिन्न अधिनियमितियों द्वारा लगातार जारी रखा गया। सबसे अन्तिम नियंत्रण अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंध, के अन्तर्गत लोहा और इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 की शर्तों के अन्तर्गत था। पूर्ण नियंत्रण के दिनों में लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन लोहे और इस्पात के उत्पादन,, मूल्य वितरण और आयातों के संबंध में अन्तिम नियंत्रण प्राधिकरण था। यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि मुख्यत: रक्षा और रेलवे, आदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरे तौर पर पूरी की जाती हैं।

2. बाद में छठे दशक के प्रारंभ में सरकार ने नियंत्रण की प्रणाली की समीक्षा करने का निर्णय लिया और प्रयोजनार्थ डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में एक संयुक्त संयंत्र समिति की स्थापना की गई थी जिसमें इस्पात कारखानों और रेलवे के प्रतिनिधि सम्मिलित थे और रेलवे अकेला ही सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लोहा और इस्पात नियंत्रक को उक्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया और इस समिति को उत्पादन की योजना बनाने, सरकार द्वारा निर्दिष्ट मुख्य प्राथमिकताओं को ध्यान

में रखते हुए उत्पादकों के लिए बेलन कार्यक्रम स्थापित करने, सरकार के अनुमोदन के अधीन लोहे और इस्पात की विभिन्न श्रेणियों के लिए मूल्य निर्धारित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। सरकार ने राज समिति की सिफारिशों पर इस्पात प्राथमिकता समिति को गठित करने का निर्णय भी लिया था जिसका कार्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए अत्याधिक मात्रा आवंटित करना है। इस समिति के अध्यक्ष इस्पात विभाग के सचिव हैं और संयुक्त संयंत्र समिति इस्पात प्राथमिकता समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार इन समितियों की स्थापना करके पूर्ववर्ती दिनों की कठोर नियंत्रण व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण कार्यों को सरकार/लोहा और इस्पात नियंत्रण संगठन के क्षेत्र से निकाल दिया गया।

3. बाद में सरकार ने, जिन स्थानों पर विलम्ब होते हैं तथा अन्य अड़चनों का पता चलता है, उन स्थानों का पता लगाने की दृष्टि से एक अन्य समिति अर्थात खाडिलकर समिति का गठन किया, जिसका कार्य लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन के संगठनात्मक ढांचे, कार्य की पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं की जांच करना था। इस समिति द्वारा सुधार के लिए उपाय सुझाए जाने थे। इस समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ यह भी सिफ़ारिश की थी कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि यह संगठन निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों को अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सके :—

(क) लोहे तथा इस्पात उद्योग का आयोजन तथा विकास;

(ख) लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने वाली इकाइयों को लाइसेंस देना ;

(ग) औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण ; और

(घ) आयात के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित करना।

अतः इस संगठन के साथ तकनीकी स्कंध को जोड़कर तथा देश में इस्पात की खपत वाले विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों पर क्षेत्रीय कार्यालय खोल कर इस संगठन का विस्तार किया गया था। इस प्रकार लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन इस्पात विभाग का क्षेत्रीय संगठन बना। इसके नियामक कार्यों को परिवर्तित संदर्भ में मिला दिया गया और इस संगठन ने निम्नलिखित कार्य करने शुरू किए —

(1) सरकारी विभागों तथा प्राथमिकता-प्राप्त अन्य उपभोक्ताओं सहित उपभोक्ताओं के प्रमुख समूहों के साथ परामर्श करके मांग का अनुमान लगाना तथा इस संगठन द्वारा रखे जा रहे क्षेत्रवार विस्तृत आंकड़ों के आधार पर विगत समय की खपत के रुख को ध्यान में रखना ;

(2) इस्पात के वितरण पर निगरानी रखना ;

(3) संगठन द्वारा लगाए गए मांग के अनुमान और देश में विभिन्न स्त्रोतों से संभावित उपलब्धता के आधार पर आयात की विस्तृत वार्षिक योजना तैयार करना ;

(4) गौण क्षेत्र के उत्पादकों सहित इस्पात के विभिन्न उत्पादकों के लिए उनके आदानों और उत्पादन हेतु रेकों/वैगनों के तिमाही लदान/प्रेषण कार्यक्रमों को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना ;

(5) देशी उपलब्धता के दृष्टिकोण से आयात सम्बन्धी आवेदन-पत्रों की बारीकी से जांच करना ;

(6) देश में उत्पादित कुल इस्पात के संबंध में अद्यतन जानकारी रख कर "डाटा बैंक" का कार्य करना ;

(7) नीति बनाने में सरकार की सहायता करने के लिए देश के विभिन्न भागों में इस्पात के बाजार भावों और उसकी उपलब्धता पर निगरानी रखना; और

(8) इस्पात के गौण उत्पादकों के विकास तथा विनियमन के लिए उनके उत्पादन पर निगरानी रखना तथा उनकी कच्चे माल और अन्य सम्बद्ध समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करने के लिए एक विकासात्मक अभिकरण के रूप में कार्य करना।

यद्यपि गौण क्षेत्र के मामले में लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन, विकास आयुक्त के संगठन के ही समान कार्य करता है तथापि संगठन के इस कार्य को अपेक्षित महत्व प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन की तुलना में लघु इस्पात कारखाना उद्योग का विकास ही अभी हाल ही में हुआ है। इस क्षेत्र के हाल ही में हुए विकास से आदान-सामग्रियों की सप्लाई, बिजली की उपलब्धता, उत्पादन लागत, कराधान ढांचा तथा लाइसेंसिंग नीति जैसी औद्योगिक समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता अधिक उजागर हुई है। चूंकि इन सब के लिए सरकार को लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र में संगठन की जिम्मदारियां पर्याप्त रूप से बढ़ गई हैं और ये गौण क्षेत्र की शक्ति तथा क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ और बढ़ेंगी।

4. इन सभी विकासात्मक कार्यों से लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन के नियामक कार्य काफी कम हो गये हैं जो पूर्ण नियंत्रण के दिनों में अधिक व्यापक थे। संगठन की भूमिका में इस परिवर्तन से संगठन का वर्तमान नाम भ्रामक प्रतीत होता है। इसलिए यह उचित समझा गया है कि संगठन का नाम उपयुक्ततः फिर से रखा जाए जिसमें संगठन के प्रमुख कार्य प्रतिबिम्ब हो सकें के तदनुसार केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि 1 मई, 1987 से लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का नाम विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात कार्यालय रखा जाए। तथापि चूंकि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण), आदेश 1956 के अन्तर्गत कतिपय शक्तियों का इस्तमाल करता है और इन शक्तियों का कुछ अभिकरणों द्वारा इस्तेमाल जारी रखे जाने की आवश्यकता है, अतः विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात पदेन लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के रूप में तब तक कार्य

करता रहेगा जब तक नियंत्रण आदेश, आदि में आवश्यक परिवर्तन न हो जाए ।

5. लोहा तथा इस्पात नियंत्रक जो अब विकास आयुक्त लोहा तथा इस्पात के रूप में जाना जाएगा, के अधिकारियों के पदों के संशोधित नाम अनुलग्नक में दिये गये हैं । ये अधिकारी यथावश्यक विकासात्मक कार्यकलापों के साथ-साथ लोहा तथा इस्पात (नियंत्रण) आदेश, 1956 के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का निर्वहण करेंगे । लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय का पदनाम बदलने से भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) के गैर-भागीदार सम्बद्ध कार्यालय के रूप में इस कार्यालय के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भिजवाई जाए और इसे सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

यू० के० मुखोपाध्याय, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन का नाम विकास आयुक्त, लोहा तथा इस्पात का कार्यालय होने पर इसके अधिकारियों के संशोधित पदनाम

वर्तमान पदनाम	संशोधित पदनाम
लोहा तथा इस्पात नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के विकास आयुक्त
औद्योगिक सलाहकार	औद्योगिक सलाहकार
लोहा तथा इस्पात संयुक्त नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के संयुक्त विकास आयुक्त
लोहा तथा इस्पात उप नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के उप विकास आयुक्त
लोहा तथा इस्पात सहायक नियंत्रक/मूल्य तथा लेखा अधिकारी	लोहा और इस्पात के सहायक विकास आयुक्त/मूल्य तथा लेखा अधिकारी
विकास अधिकारी	विकास अधिकारी
सहायक विकास अधिकारी	सहायक विकास अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी	अनुसंधान अधिकारी
लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी
हिन्दी अधिकारी	हिन्दी अधिकारी
सहायक आयुक्त, भुगतान	सहायक आयुक्त, भुगतान
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रीय विकास आयुक्त
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात उप नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के क्षेत्रीय उप विकास आयुक्त
क्षेत्रीय लोहा तथा इस्पात सहायक नियंत्रक	लोहा तथा इस्पात के सहायक क्षेत्रीय विकास आयुक्त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च, 1987

संकल्प

सं० यू० 12025/40/86-एम० ई० एम०——राष्ट्रपति ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 20 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या यू० 12019/15/85-एम० ई० एम० के तहत गठित शक्ति प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी ——

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	अध्यक्ष
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
4. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय	सदस्य
5. अपर सचिव, एवं आयुक्त (प० क०)	सदस्य
6. अपर सचिव, (प० क०)	सदस्य
7. सलाहकार (एम० एम० एंड सी०) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
8. अपर सचिव, वित्त मंत्रालय	सदस्य
9. सलाहकार (स्वास्थ्य), योजना आयोग	सदस्य
10. संयुक्त सचिव, (वित्तीय सलाहकार) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	सदस्य
11. संयुक्त सचिव (एम० बी०) 12. संयुक्त सचिव (ए)	} जो अब संयुक्त सचिव (एस० के०) और संयुक्त सचिव (एल० एस०) का कार्य देख रहे हैं।
13. संयुक्त सचिव (एम)	
14. निदेशक, भारतीय जन संचार संस्थान	
15. चीफ (मीडिया) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	गैर सदस्य सचिव

प्राइवेट विज्ञापन एजेंसियों की मदद से परिवार नियोजन की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए विशेष संचार अभियानों के विकास के प्रस्तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने के लिए गठित इस शक्ति प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय वही रहेंगे जो ऊपर उल्लिखित संकल्प (प्रति संलग्न) में बताए गए हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा इस संकल्प को जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० एस० धनोआ, सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अप्रैल, 1987

संकल्प

सं० 1–29/86–मशी० (प्रशासन)—इस विभाग के 17 सितम्बर, 1986 के इसी संख्या के संकल्प के जरिए कृषि और सहकारिता विभाग के आंतरिक वित्त के निदेशक को वित्त सलाहकार के स्थान पर फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान के लिए स्थापित प्रबन्ध समिति का सदस्य बनाया गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि उक्त संकल्प का प्रचालन रद्द किया जाए। दिनांक 21–6–1985 के संकल्प सं० 1–18/85–मशी (प्रशा) के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्य के रूप में वित्तीय सलाहकार की नियुक्ति को अब तत्काल से प्रचालित समझा जाए।

आर० के० श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी, 1987

संकल्प

सं० 7–1/87–सी० एस० यू०—राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय किया है कि एक सलाहकार समिति का गठन तत्काल किया जाना चाहिए जो अपने विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत सरकार को सलाह देगी —

2. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी —

1.	श्री मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव (एम)	अध्यक्ष
2.	क्षेत्रीय संस्कृतिक केन्द्र का प्रतिनिधि दीमापुर क्षे सां० के० इलाहाबाद/क्षे सां० के०, पटियाला)	सदस्य
3.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	आर० एम० एस०, भोपाल का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	श्री मोहन उप्रेती, अध्यक्ष, पर्वतीय कलाकेन्द्र, दिल्ली	सदस्य
6.	संगीत और नाटक प्रभाग का प्रतिनिधि (सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय)	सदस्य
7.	निदेशक (एफ) संस्कृति विभाग	सदस्य
8.	निदेशक, (हस्तशिल्प) अरुणाचल प्रदेश	सदस्य
9.	कला तथा संस्कृति से संबंधित उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक (पी० एण्ड सी०)	सदस्य
11.	अवर सचिव (सी० एच० /डी० डी०) (योजना)	सदस्य (सचिव)

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे — स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों, राज्य सरकारों आदि को हिमाचल की सांस्कृतिक परम्परा के परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वियन के संबंध में सरकार को सलाह देना।

4. गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य काल आरम्भ में दो दो वर्ष के लिए होगा।

5. समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार बुलायेगी।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये और जन साधारण की सूचना के लिए अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

संकल्प

सं० एफ० 7–1/87–सी० एस० यू०—राष्ट्रपति ने सहर्ष यह निर्णय किया है कि एक सलाहकार समिति का तत्काल गठन किया जाना चाहिए जो अपने विचारार्थ विषयों के अंतर्गत सरकार को सलाह देगी।

2. इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी —

1.	श्री मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव (एम)	अध्यक्ष
2.	भारतीय शिल्पकला परिषद् का प्रतिनिधि	सदस्य
3.	ललित कला अकादमी का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	कल्याण मंत्रालय में जनजातीय विकास प्रभाग का प्रतिनिधि	सदस्य
5.	भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	निदेशक, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र (दीमापुर)	सदस्य
7.	निदेशक, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	सदस्य
8.	निदेशक (एफ) संस्कृति विभाग	सदस्य
9.	संगीत और नाटक प्रभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक (पी० एण्ड सी०)	सदस्य
11.	अवर सचिव (सी० एच/डी० डी० (योजना)	सदस्य सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों, संस्थाओं, सोसायटियों को जनजातीय तथा लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन तथा प्रसार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना ।

4. गैर सरकारी सदस्यों का कार्य काल प्रारम्भ में दो वर्षों के लिए होगा ।

5. समिति अपनी बैठकें आवश्यकतानुसार बुलायेगी ।

6. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता एस० आर० 190 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विनियमित किया जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भेज दी जाये और जनसाधारण की सूचना के लिए अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

मनमोहन सिंह, संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अप्रैल 1987

संकल्प

सं० हिन्दी/समिति/87/40/1—भारत सरकार (रेल मंत्रालय) ने विनिश्चय किया है कि रेल मंत्रालय में गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति की रेलवे हिन्दी शब्दावली उपसमिति का तत्काल पुनर्गठन किया जाये । उपसमिति का गठन और कार्यकलाप इस प्रकार होंगे :—

गठन	सदस्य
(1) डा० नामवर सिंह भारतीय भाषा केन्द्र, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, न्यू महरोली रोड़, नई दिल्ली	सदस्य
(2) डा० एस० एन० गणेशन प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभाग मद्रास विश्वविद्यालय, मेरीना, मद्रास—600005	सदस्य
(3) डा० राममूर्ति त्रिपाठी, हिन्दी विभागाध्यक्ष, विक्रम विश्व विद्यालय, उज्जैन	सदस्य
(4) डा० बलदेव वंशी प्राचार्य हिन्दी, दिल्ली विश्वविद्यालय, ए—3/283 पश्चिम विहार, नई दिल्ली—110063	सदस्य
(5) डा० लक्ष्मी नारायण दुबे, रीडर, हिन्दी विभाग, डा० हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश)	सदस्य
(6) निदेशक, राजभाषा, रेलवे बोर्ड	संयोजक सदस्य

2. उप समिति की बैठकों में सम्बद्ध निदेशालय के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि और क्षेत्रीय रेलों के शब्दावली के कार्य में अनुभव प्राप्त एक-दो हिन्दी अधिकारी भी भाग लेंगे ।

3. उप समिति की बैठकें जब भी आवश्यक होगा, बुलायी जा सकेंगी ।

कार्यकाल :

4. उपसमिति का कार्यकाल वर्तमान रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के कार्यकाल अर्थात 15—1—90 तक रहेगा

यात्रा/दैनिक भत्ता :

5. उपसमिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को मानार्थ रेलवे पास, यात्रा तथा दैनिक भत्ते आदि का नियमन रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों के संबंध में लागू आदेशों के अन्तर्गत किया जाएगा ।

कार्यकलाप :

6. यह उपसमिति रेलवे कार्य प्रणाली की सभी शाखाओं से सम्बद्ध रेलवे के तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों का संकलन कर उनके उपयुक्त हिन्दी पर्यायों का निर्धारण करेगी ।

प्रधान कार्यालय :

7. उपसमिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु इसकी बैठकें नई दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकेंगी ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

सतीश मोहन वैश,
सचिव, रेलवे बोर्ड, एवं
पदेन संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th May 1987

No. 39-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mohd. Shoyeb, (Posthumous)
Sepoy No. 337,
15th Battalion,
Bihar Military Police,
Deoghar.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 27th March, 1986, while going to market, Shri Mohd. Shoyeb, Sepoy received an information that 6-7 outlays were looting arms and ammunitions from a contingent of Railway Protection Force at Jakhimpur Railway Station. He immediately came back to his post and intimated other members of his party. The Police party under the charge of a Havildar rushed to overpower the outlaws. They chased the outlaws for about two kilometres, The outlaws started firing on the Police party from the canal bed. The Police party returned the fire insel^c defence. Heanwhile Sepoy Mohd. Shoyeb, continuing the pursuit wanted to take possession of the rifle of an outlaw killed in the exchange of fire. He jumped to the other side of the canal, without caring for his personal safety. In the process, he was hit by a bullet fired by the outlaws and died on the spot. In the exchange of fire, two outlays were killed and two looted rifles were recovered. The remaining outlaws managed to escape under the cover of darkness.

In this incident, Sepoy Mohd. Shoyeb displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th March, 1986.

No. 40-Pres/87.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri J. S. Pillai,
Constable No. 720160563,
22nd Bn., CRPF.

Shri Kali Ram,
Constable No. 751172553,
22nd Bn., CRPF.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 24th March, 1986 on Section of Central Reserve Police, Force personnel, under the command of a Head Constable Kanhaiya Lal, was sent from the Platoon Post, Matewal to village Rupawali Brahman. When this Section reached near Giddarzada village, where a road forms 'T' Junction. it was about 7 30 · m and visibility was poor. About 12-15 terrorists had planned an ambush at this place and had taken position along both sides of the road in the wheat crop. When one part of the section of CRPF came under the firing range, the terrorists started firing with automatic weapons. The CRPF section took positions immediately. Before the Head Constable took position, he was hit by a bullet but he and his men returned the fire. He was hit again by a heavy burst which killed him instantaneously. One Constable, though injured on his right arm, managed to return the fire, but could not sustain any longer as he was bleeding profusely. He returned to his post Commandant to inform him about the ambush. One of the extremists tried to take away 9 mm SAF Carbine of the deceased Head Constable but a burst fired by another Constable seriously injured the extremist, who fell down and dropped the Carbine. Simultaneously, the second half of the section led by Naik Resham Singh had also been attacked by another group of extremists. Three extremists pounced upon the Naik and two extremists pounced upon Constable Kali Ram. In the meantime, another Constable J. S. Pillai took position in the wheat field. Naik Resham Singh tried to fire but the extremists did not allow him to do so. A scuffle started between the Naik and three extremists. Shri Resham Singh gave tough resistence but unfortunately fell to the attack of the extremists.

After killing Naik Resham Singh, the extremists fled away with his SLR in the wheat field. The two extremists who attacked Constable Kali Ram were armed with one SAF carbine 9 mm and two revolvers. Constable Kali Ram grappled with the extremists and caught hold of the carbine and saved himself from the volley of fire. Constable Pillai immediately shot him from his rifle injuring the extremist seriously. In the meantime, Constable Kali Ram fired upon the other extremist and killed him on the spot. The action of Constable Kali Ram and Pillai forced the extremists to run away leaving behind the weapons, the dead body and injured extremists. In the meantime re-inforcement from the Platoon Post reached. A search was conducted for the injured extremist who had fallen in the wheat field. Suddenly, the injured extremist fired a volley from his carbine but he was silenced by Inspector Sushil Kumar. On search one SAF carbine, one .455 revolver, one .38 revolver, two Meg Stenguns; three Meg. SAF carbines, 51 rounds of 9 mm ammunition, 26 rounds of .455 ammunition and 7 empty cases were recovered from the possession of the dead extremist.

In this encounter, Shri J. S. Pillai, Constable and Shri Kali Ram, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th March, 1986.

No. 41-Pres/87.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and rank of the officers

Shri Kanhaiya Lal, (Posthumous)
Head Constable No. 600102166,
22nd Bn., CRPF.

Shri Resham Singh, (Posthumous)
Naik No. 680206619,
22nd Bn., CRPF.

Shri Md. Bashir,
Constable No. 680466131,
22nd Bn., CRPF.

Shri Girdhari Lal,
Constable No. 831170244,
22nd Bn., CRPF.

Statement of Services for which the decoration has been awarded

On the 24th March, 1986, one section of CRPF personnel, under the command of Head Constable Kanhaiva Lal, was sent from the Platoon Post, Matewal to village Rupawali Brahmana. The section also included Naik Resham Singh, Constables Mohd. Bashir and Girdhari Lal. When this section reached near Giddarzada village, where a road forms 'T' Junction it was about 7.30 p.m. and visibility was poor. About 12.15 terrorists had planned an ambush at this place and had taken position along both the sides of the road in the wheat crop. When one part of the section of CRPF came under the firing range, the terrorists started firing with automatic weapons. The CRPF section took positions immediately. Before Shri Kanhaiya Lal, HC, took position, he was hit by a bullet but he and his men returned the fire. He was hit again by a heavy burst which killed him instantaneously. Constable Md. Bashir, though injured on his right arm managed to return the fire, but could not sustain any longer as he was bleeding profusely. He returned to his post Commandant to inform him about the ambush. One of the extremists tried to take away 9 mm SAF carbine of the deceased Head Constable but a burst fired by Constable Girdhari Lal seriously injured the extremist, who fell down and dropped the carbine. Simultaneously, the second half of the section led by Naik Resham Singh had also been attacked by another group of extremists. Three extremists pounced upon Naik Resham Singh and two extremists pounced upon Constable Kali Ram. In the meantime, another Constable J. S. Pillai took position in the wheat field. Naik Resham Singh tried to fire but the extremists did not allow him to do so. A scuffle started between the Naik and three extremists. Shri Resham Singh gave tough resistence but unfortunately fell to the attack of the extremists.

After killing Naik Resham Singh, the extremists fled away with his SLF in the wheat field. The two extremists who attacked Constable Kali Ram were armed with one SAF Carbine 9 mm and wto revolvers. Constable Kali Ram grappled with the extremists and caught hold of the carbine and saved himself from the volley of fire. Constable Pillai immediately shot from his rifle injuring the extremist seriously. In the meantime, Constable Kali Ram fired upon the other extremist and killed him on the spot. The action forced the extremists to run away leaving behind the weapons, the dead body and injured extremists. In the meantime re-inforcement from the Platoon Post reached. A search was conducted for the injured extremist who had fallen in the wheat field. Suddenly, the injured extremist fired a volley from his carbine but was silenced by Inspector Sushil Kumar. On search one SAF carbine, one .455 revolver, one .38 revolver, two Meg. Stenguns, three Meg. SAF Carbine, 51 rounds of 9 mm ammunition. 26 round of .455 ammunition and 7 empty cases were recovered from the possession of the dead extremist.

In this encounter, Shri Kanhaiya Lal, Head Constable, Shri Resham Singh, Naik, Shri Md. Bashir, Constable and Shri Girdhari Lal, Constable, exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th March, 1986.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy. to the President

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 27th March 1987

Post Office Savings Bank Prize Incentive Scheme—Result of the Twenty-Fourth Draw for award of Prize under the Post Office Savings Bank Prize Incentive Scheme held on 31st January 1986 at Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedabad.

CORRIGENDA

No. F.2/27/85-NS.—In notification No. 2/27|85-NS dt. 14th May 1986 published in Gazette of India, Extraordinary dated 14th May, 1986 the following amendments may be made under col. (3)—Post Office/Head Post Office.

Page No. of the Gazette	Line No.	For	Read
5	15 from top	Jaipur	Jajpur
5	48 from top	Narsingpur	Narsinghpur
5	53 from top	Landsdown	Lansdowne
6	16 from top	Sawaimodhopur	Sawaimadhopur

The 30th March 1987

P.O.S.B. Prize Incentive Scheme—Result of the Seventeenth Draw held on 31-7-1982 at Banquet Hall, Vidhana Soudha, Bangalore.

No. F.2/13|82-NS.—In notification No. 2|13|82-NS dated 31-8-1982 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31-8-1982 the following entry may be deleted :—

"23 4791356 328377 Chapra Bihar"

The 20th April 1987

No. 2/21/86-NS.—In the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Gazette Notification No. 2/21/86-NS dated 9-10-1986 published in Part I Section 1 Gazette of India, Extraordinary under the Heading "Fourth Prizes (Rs. 5,000/- each)" the following entry may be deleted :—

"63 2206587 547478 Jamshedpur Bihar"

OM PAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL & MINES
DEPARTMENT OF STEEL

New Delhi, the 15th April 1987

RESOLUTION

No. SC-7(1)/86-D.III.—After the out-break of the Second World War the then Government motivated by compulsion of adequate supplies of materials for its huge war effort introduced wide-ranging controls on prices and distribution of various commodities, including iron and steel. As a result in July, 1941 the Iron & Steel (Control of distribution) Order, 1941 was promulgated under the Defence of India Rules, 1939. This gave birth to the Iron & Steel Control Organisation in the country. Later this control was continued through various enactments; the latest being in terms of the Iron & Steel (Control) Order, 1956 under the provision of the Essential Commodities Act, 1955. During the days of full control the Iron & Steel Control Organisation was the ultimate controlling authority in respect of production, prices, distribution and imports of iron and steel. This was necessary to ensure that the requirements of the priority sectors, mainly Defence and Railways etc. were fully met.

2. Later in the early Sixties Government decided to review the system of controls and for this purpose appointed a Committee under the Chairmanship of Dr. K. N. Raj. On the recommendation of this Committee, a Joint Plant Committee consisting of representatives of the Steel Plants and the Railways as the largest single consumer was set up in 1964. The Iron & Steel Controller was made the Chairman of the Committee and the responsibility of Planning production, setting, rolling programmes for the producers in the light of broad priorities indicated by the Government, fixing prices for various categories of iron and steel subject to the approval of the Government were entrusted to this Committee. Government also decided to set up a Steel Priority Committee on the recommendations of the Raj Committee with the function of making bulk allocations for priorty sectors. This Committee is headed by the Secretary, Department of Steel and the Joint Plant Committee functions as the Secretariat of the Steel Priority Committee. The rigid control mechanism of earlier days and the major control functions were thus taken out of the purview of the Government/Iron & Steel Control Organisation with the formation of these Committees.

3. Subsequently Government appointed another Committee namely, Khadilkar Committee to examine the Organisation, structure, methods of work and procedures of the Iron & Steel Control Organisation with a view to locating the points at which delays occurred, and where other bottlenecks were observed. The Committee was to suggest measures for improvement. This Committee inter-alia recommended that the Iron and Steel Control Organisation should be strengthened so that it could perform the following important functions more effectively :—

(a) Planning and development of iron and steel industry;

(b) Licensing of iron and steel producing units;

(c) Registration of industrial units; and

(d) Sponsoring of applications for imports.

This Organisation was, therefore, expanded by attaching a Technical Wing to it and also opening Regional Offices at different important steel consuming centres in the country. The Iron & Steel Control Organisation thus became the Field Organisation of the Department of Steel. Its regulatory functions got diluted in the changed context and the Organisation started performing the following functions :—

(i) assessment of demand in consultation with the leading groups of consumers including Government Departments and other priority consumers and taking into account the trends of past consumption based on the detailed sector-wise data maintained by it;

(ii) oversee steel distribution;

(iii) preparation of a detailed annual import plan based on the Organisation's assessment of demand and likely availability from different sources in the country;

(iv) coordination with various agencies to finalise quarterly movement/despatch programmes of rakes/wagons for various steel producers, including those in the secondary sector, for their inputs and outputs;

(v) scrutinising the import applications from the angle of indigenous availability;

(vi) serving as data bank for maintaining up-to-date information on the total steel produced in the country;

(vii) monitoring the market prices and availability of steel in different parts of the country to help Government in its policy planning; and

(viii) working as a developmental agency for the delopment and regulation of secondary steel producers by monitoring their production and helping them solve their raw material and other related problems.

Although in the case of secondary sector the Iron and Steel Control Organisation functions similar to that of a Development Commissioner's Organisation, this function of the Organisation has not acquired the desired importance because of the fact that the development of the mini-steel plant industry itself is much more recent than the Organisation of the Iron and Steel Control. The recent growth of this sector has increasingly highlighted the need for looking into the problems of this industry like supplies of input materials, power availability, production costs, taxation structure and the licensing policy. Since Government has to rely for all this on the Iron and Steel Control Organisation, the responsibilities of the Organisation have grown substantially in this field and will increase further with the increase in strength and capacity of the secondary sector.

4. All these developments have reduced considerably the regulatory functions of the Iron and Steel Control Organisation which were much wider in the days of full control. With this change in its role the present designation of the Organisation seems to be misleading. It is, therefore, considered appropriate that the Organisation may be redesignated appropriately to reflect its major functions. The Central Government have accordingly now decided that with effect from the 1st May, 1987 the Office of the Iron and Steel Controller be redesignated as the Office of the Development Commissioner for Iron and Steel. However, since the Iron and Steel Controller exercises certain powers under the Iron and Steel (Control) Order, 1956 and these powers need continue to be exercised by some agency, the Development Commissioner for Iron and Steel would continue to act as ex-officio Iron & Steel Controller till such time the necessary changes are made in the Control Order etc.

5. The revised designations of the post of officers in the Office of the Iron & Steel Controller which will now be known as the Office of the Development Commissioner for Iron and Steel are indicated in the annexure. These Officers will discharge their functions under the Iron and Steel (Control) Order, 1956 alongwith the developmental functions that may be necessary. The change in the designation of the Office of the Iron & Steel Controller will not affect the present status of this Office as a non-participating attached office of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Steel).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

U. K. MUKHOPADHYAY, Jt. Secy.

ANNEXURE

REVISED DESIGNATION OF THE OFFICERS OF THE IRON AND STEEL CONTROL ORGANISATION ON ITS REDESIGNATION AS THE OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR IRON AND STEEL.

Existing Designation	Revised Designation
Iron & Steel Controller	Development Commissioner for Iron and Steel.
Industrial Adviser	Industrial Adviser
Joint Iron & Steel Controller	Joint Development Commmissioner for Iron and Steel.
Deputy Iron & Steel Controller	Deputy Development Commissioner for Iron and Steel.
Asstt. Iron & Steel Controller	Asstt. Development Commissioner for Iron and Steel.
Price & Accounts Officer	Price and Accounts Officer
Development Officer	Development Officer
Asstt. Development Officer	Asstt. Development Officer
Research Officer	Research Officer
Accounts Officer	Accounts Officer
Hindi Officer	Hindi Officer
Asstt. Commissioner of Payments.	Asstt. Commissionor of Payments.
Regional Iron & Steel Controller.	Regional Development Commissioner for Iron and Steel.
Deputy Regional Iron and Steel Controller.	Deputy Regional Development Commissioner for Iron and Steel.
Asstt. Regional Iron and Steel Controller	Asstt. Regional Development Commissioner for Iron and Steel.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 23rd March 1987

RESOLUTION

No. U 12025/40/86-MEM.—The President has been pleased to decide that the composition of the Empowered Committee, set up by vide Resolution No. U.12019/15/85/MEM dated 20th March, 1986 shall be as follows :—

1.	Minister for Health & Family Welfare	— Chairperson
2.	Minister of State for Health & FW	— Vice-Chairperson
3.	Secretary, Ministry of Health & FW	— Member
4.	Secretary, Ministry of I&B	— Member
5.	Additional Secretary & Commr. (FW)	— Member
6.	Additional Secretary (FW)	— Member
7.	Adviser (MM&C), Min. of Health & FW	— Member
8.	Additional Secretary, Min. of Finance (Department of Expenditure)	— Member
9.	Adviser (Health), Planning Commission	— Member
10.	JS (FA), Min. of Health & FW	— Member
11.	JS(MB) } Now looking after the work of JS(SK) and JS (LS)	
12.	JS(A)	
13.	JS(M)	
14.	Director, Indian Institute of Mass Communication.	
15.	Chief (Media), Min. of Health & FW	— Non-member Secretary

The terms of reference of the Empowered Committee set up for considering and approving proposals for developing special communication campaigns for promotion of family planning acceptance with the help of private advertising agencies remain the same as indicated in the Resolution referred to above (copy enclosed).

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. S. DHANOA, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPTT. OF AGRI. AND COOPERATION)

New Delhi, the 20th April 1987

RESOLUTION

No. 1-29/86-MY (Admn.).—Vide this Department's Resolution of even No dated 17-9-1986, Director (Internal Finance) Department of Agriculture and Cooperation was made a member of the Management Committee set up for Farm Machinery Training and Testing Institutes vice Financial Adviser. It has now been decided to rescind the operation of the said Resolution. The appointment of the Financial Adviser as a Member of the Management Committee made vide Resolution No. 1-18/85-MY (Admn.) dated 21-6-1985 now stands with immediate effect.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be Communicated to all State Governments/Union Territories, all Ministries/Department of the Government of India, Cabinet Secretariat, Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, The Accountant General Central Revenues, the India Council of Agricultural Research.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF CULTURE)

New Delhi, the 23rd February 1987

RESOLUTION

No. F.7-1/87-CSU.—The President has been pleased to decide that an Advisory Committee should be constituted with immediate effect to advise the Government within its terms of reference.

2. The composition of this Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri Manmohan Singh J. S. (M).

Members

2. Representative from ZCC (Dimapur/ZCC, Allahabad/ZCC, Patiala).
3. Representative from University Grants Commission
4. Representative from R. M. S., Bhopal.
5. Shri Mohan Upreti, President, Parvitiya Kala Kendra, Delhi.
6. Representative from Song and Drama Div. (Ministry of I & B).
7. Director (Handicrafts), Arunachal Pradesh.
8. Director (F), Deptt. of Culture.
9. Representative from North-Eastern Hill University (Shillong) dealing with Art and Culture.
10. Director (P&C).

Member-Secretary

11. US (CH)/DD (Plg.).

3. The terms of reference of the Committee will be as under :

To advise the Government on the implementation of the Central Scheme of Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisation, Institution, Societies, State Government etc. for the preservation and development of Cultural heritage of the Himalayas.

4. The terms of the office of the non-official members will be for a period of two years in the first instance.

5. The Committee will hold its meetings as often as necessary.

6. T.A. and D.A. to non-official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India there under as issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

RESOLUTION

No. F.7-1/87-CSU.—The President has been pleased to decide that an Advisory Committee should be constituted with immediate effect to advise the Government within its terms of reference.

2. The composition of this Committee will be as under :—

Chairman

1. Shri Manmohan Singh J.S. (M).

Members

2. Representative from Crafts Council of India.
3. Representative from Lalit Kala Akademi.
4. Representative of the Tribal Development Division of the Ministry of Welfare.
5. Representative from Anthropological Survey of India.
6. Director, ZCC (Dimapur).
7. Director NSD.
8. Director (F), Deptt. of Culture
9. Representative from Song and Drama Division, Ministry of I&B.
10. Director (P&C).

Member-Secretary

11. US (CH)/DD (Plg.).

3. The terms of reference of the Committee will be as under :

1. To advise the Government on the implementation of the Central Scheme of Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisations, Institute, Society etc. for promotion and dissemination of Tribal and Folk Art and Culture.

4. The terms of the office of the non-official members will be for a period of two years in the first instance.

5. The committee will hold its meetings as often as necessary.

6. T.A. and D.A. to non-Official members for attending the meetings of the Committee shall be regulated in accordance with the provisions of S.R. 190 and orders of the Government of India thereunder as issued from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to all State Governments/ Union Territories and that the Notification may be published in the Gazette of India for general information.

MANMOHAN SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 15th April 1987

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/87/40/1.—The Government of India (Ministry of Railways) have decided to re-constitute the Railway Hindi Lexicon Sub-Committee of the Railway Hindi Salahkar Samiti with immediate effect. The composition and functions of the Sub-Committee will be as follows :—

1. *COMPOSITION*

Members

(1) Dr. Namvar Singh,
Centre of Indian Languages,
Jawahar Lal Nehru University,
New Mehrauli Road,
New Delhi.

(2) Dr. S. N. Ganesan,
Prof. and Head of the Hindi Department,
Madras University,
Marina, Madras-600 005.

(3) Dr. Rammurty Tripathi,
Head of Hindi Deptt.
Vikram University,
Ujjain, (MP).

(4) Dr. Baldev Vanshi,
Lecturer, Hindi,
Delhi University,
A/3/283 Pashchim Vihar,
New Delhi-110 063.

(5) Dr. Luxmi Narayan Dubey,
Reader, Hindi Department,
Dr. Hari Singh Gaur University,
Sagar (Madhya Pradesh)

Convenor

(6) Director, Official Language,
Railway Board.

2. Directors of the concerned Directorate or their representatives and one or two Hindi Officers of the Zonal Railways having experience of the work of terminology will also take part in the meetings of the Sub-Committee.

3. Meetings of the Sub-Committee will be held as and when necessary.

TENURE

4. The tenure of the Sub-Committee will be upto 15/1/90 i.e. upto the term of the present Railway Hindi Salahkar Samiti.

TRAVELLING AND DAILY ALLOWANCES

5. The TA/DA and facility of complimentary Railway Passes to non-official members of the Sub-Committee for attending the meetings will be regulated in terms of the orders as applicable to the members of Railway Hindi Salahkar Samiti.

FUNCTIONS

6. Compilation of technical terms and expressions pertaining to all branches of Railway working and evolution of suitable Hindi equivalents thereof.

HEADQUARTER

7. The Headquarter of the Sub-Committee will be at New Delhi. However, its meetings can also be at any other station outside New Delhi.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Sectt. Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectt. and Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. M. VAISH, Secy., Railway Board
&
Ex-officio Joint Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987